

पत्र संख्या : 7ब/4701 योज०सं०-01/2016

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

49

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, हजारीबाग/मेदिनीनगर/देवघर;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता -सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 06-06-16

विषय :- माँग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, उप शीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड-49P470180800460545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट 1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य/	800-अन्य व्यय/ 46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन	05-निर्माण/ 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड-49P470180800460545	895.09

आवंटित राशि - ₹ आठ करोड़ पंचानबे लाख नौ हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2016-17 के बजट उपबंध राशि रु. 1700.00 लाख (सत्तरह करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1363 दि. 09.05.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

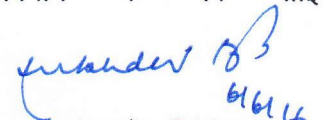
(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुदित साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

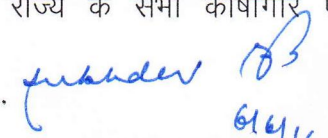
7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2017 तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

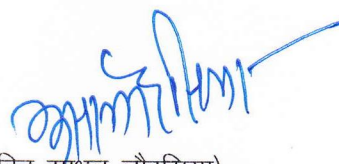
ज्ञापांक :- 49 राँची, दिनांक :- 06-06-16
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/मेदिनीनगर/देवघर/हजारीबाग/तेनुघाट/बोकारो/गोड्डा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक-यथोक्त।

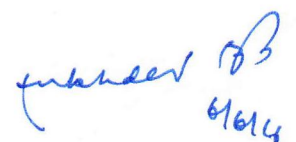

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 49 राँची, दिनांक :- 06-06-16
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक: 49

दिनांक: 06-06-16

का अनुलनक

परिशिष्ट -1

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परियद्य,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय

उप शीर्ष - 46- सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन ।

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, 49P470180800460545

वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट उपबंध 1700.00 लाख (सत्तरह करोड़) रुपये मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2016 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				राशि	प्रसंग		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	तेनुघाट बौध प्रमंडल, (BKRRRR002)	नंदापुरीबाग	तेनुघाट बौध परियोजना के अंतर्गत नहर आउटलेट के इमरजेंसी गेटों का मरम्मत सिर्विस गेट का अधिग्रहण, रतुईस गेट, गैन्ट्री क्रेन, रेडियल गेट का मरम्मत एवं पॉच वर्षों तक समोपेण कार्य।	2349.35254	85/13-14 दिनांक 26.02.2014	2110.00	0.00	25.77	25.77	34401	
			बौध के सामानान्तर काउजवे से सतौषी मोहिर तक 151 चेन में सड़क मरम्मत का कार्य।	51.440	24/09-10 दिनांक 11.03.2010	40.24	0.00	8.00	8.00		
			योग			योग	0.00	33.77	33.77		
			बौधा जलाशय योजना का पुर्नस्थापन कार्य	132.512	80/13-14 दिनांक 20.02.2014	110.84	0.00	20.00	20.00		
			गोलई वीयर योजना का पुर्नस्थापन कार्य	138.325	34/14-15 दिनांक 16.09.2014	103.50	0.00	25.00	25.00		
			दुलकी वीयर योजना का पुर्नस्थापन कार्य	102.0715	36/14-15 दिनांक 17.09.2014	85.16	0.00	18.00	18.00	34405	
			लोहिया जलाशय योजना का पुर्नस्थापन कार्य	732.089	28/14-15 दिनांक 12.09.2014	132.02	0.00	300.00	300.00		
			हिरु जलाशय योजना का पुर्नस्थापन कार्य	425.449	29/14-15 दिनांक 12.09.2014	74.73	0.00	200.00	200.00		
			योग			योग	0.00	563.00	563.00		

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता(मुक्ति/साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2016 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				राशि	प्रसंग		पूर्व का आबंटन	वर्तमान आबंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	जलपथ प्रमंडल, बरही (HZBARR017)	हजारीबाग	उसरी वीयर योजना का पुर्नस्थापन कार्य	148.350	33/14-15 दिनांक 16.09.2014	136.66	0.00	10.00	10.00	34411	
योग							0.00	10.00	10.00		
4	जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर (PLMIRR003)	मेदिनीनगर	पीसी सिंचाई योजना के मुख्य नहर एवं इससे निम्न वित्तरणियों के पुर्नस्थापन कार्य	119.788	23/14-15 दिनांक-06.08.2014	94.93	0.00	11.80	11.80	34414	
			चाको वीयर योजना के वीयर गाईड बॉध एवं नहरों के बाँध मरमाति एवं पुर्नस्थापन कार्य	203.280	22/14-15 दिनांक-06.08.2014	191.06	0.00	18.97	18.97		
			सोनरे सिंचाई योजना के पुर्नस्थापन कार्य	104.170	29/15-16 दिनांक-21.09.2015	0.00	0.00	90.78	90.78		
योग							0.00	121.55	121.55		
5	सिंचाई प्रमंडल, देवघर (DGRCMMF59)	देवघर	दरुआ वीयर योजना का पुर्नस्थापन कार्य	280.296	82/13-14 दिनांक-21.02.2014	189.36	0.00	110.80	110.80	34416	
			दहुआजोर वीयर योजना का पुर्नस्थापन कार्य	358.597	79/13-14 दिनांक-20.02.2014	104.33	0.00	45.67	45.67		
योग							0.00	156.47	156.47		
6	सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा सिंचि महगामा (GDDIRR001)	देवघर	सोनेपुर वीयर योजना का पुर्नस्थापन कार्य	334.410	60/13-14 दिनांक 16.01.2014	351.44	0.00	10.30	10.30	34418	
योग							0.00	10.30	10.30		
कुल योग							0.00	895.09	895.09		

आवंटित राशि ₹ आठ करोड़ पंचानवे लाख नौ हजार मात्र।

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

49
06-06-16